न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़
R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 345/2017

उनवान

1. रमेश पुत्र बीरबल उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना
2. नायब तहसीलदार पाटन

प्रप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- श्री मुरारीलाल यादव एड० - प्रार्थी

निर्णय दिनांक 20-7-2018

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि रख०न० 1088 रकबा 0.27 है० रख०न० 1089 रकबा 0.18 है० रख०न० 1090 रकबा 0.32 है० रख०न० 1091 रकबा 1.27 है० रख० न० 1092 रकबा 0.49 है० राजस्व ग्राम पांचू खरकड़ा पटवारी हल्का डूंगा की नांगल तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान मे प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज है जिसके पुराना रख०न० 428/7 रकबा 2.53 है० है। भूमि वर्णित प्रार्थना पत्र की मद न०1 के सीमाज्ञान बाबत पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि भूमि वर्णित मद न०1 में पुराना रख०न० 428/7 रकबा 2.53 है० के नक्शा टैल के स्थान पर सीपीकीय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा टैल में

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

गलत नक्शा इन्द्राज किया गया। मौके पर तरमीम में अंकन नये नक्शे के क्षेत्रफल में फेरबदल कर दिया जबकि सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे ट्रेस के अनुरूप तरमीम का सही अंकन है। उक्त भूल लिपीकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख०न० 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, राजस्व ग्राम पांचू खरकड़ा पटवारी हल्का डूगा की नांगल के नक्शा ट्रेस को संशोधित फरमाया जाकर सेटिलमेन्ट से पूर्व जारी नक्शा ट्रेस ख०न० 42817 रकबा 2.53 है० के अनुसार नये नक्शा ट्रेस को संशोधित फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं। कि ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए बिन्दुवार जबाव पेश किया गया। जबाव मे अंकित किया गया कि उक्त - ख० न० की तरमीम पुराना नक्शा शीट में दर्ज नही है। उक्त भूमि ख० न० 1088 से 1092 रकबा 2.53 है० मिनी खातेदारी की भूमि है। जिसे वन विभाग की तरमीम से बाहर किया जाना उचित है। वन विभाग की तरमीम सलंग्न नक्शा अनुसार ख०न० 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, को छोडकर किया जाना उचित है। प्रस्तावित तरमीम का मजरी नक्शा सलंग्न है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। नक्शा ट्रेस मे उक्त भूमि का गलत नक्शा इन्द्राज किया गया है। जबकि सैटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा ट्रेस में तरमीम का सही अंकन था। जिसे दुरूस्त किया जावे। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर 1977, RRD 673 दुर्गाप्रसाद बनाम पन्नालाल, खण्डपीठ मान० राज० उच्च न्याया० 1977 RRD 504 मूलाराम बनाम राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य खण्डपीठ मान० राज० उच्च न्यायालय जयनारायण बनाम राजस्व मण्डल व अन्य तथा 1962 RRD 59 रामनारायण बनाम प्रभू सिंह की नजीर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक का सधारण):- सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियो के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फिल्ड बुक रखी जायेगी और वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निहित करे प्रत्येक गाव या गाव के भाग भू सम्पति या खेत की सीमाओ के सब परिवर्तनो को इसमें लिख लेवा तथा ऐसी गलतीयो

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में ली गयी बतलायी जावे सही करेगा।

धारा 136।- गलतियो का शुद्धिकरण।- भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपीकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा। जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देखले।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित नोटिस नही दे दिया गया हो।

राजस्थान भू० राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 (60) दुरुस्ती -(1) सभी राजस्व अधिकारीगण, ऐसे पटवारियो द्वारा जिन पर उनका नियंत्रण है काम में लिये जाने वाले नक्शे के सही होने के उत्तरदायी होगें।

प्रकरण में प्रतिपक्षी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन की अभिशंषा की गयी है एवं उक्त संशोधन के द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा धारित भूमि के क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि होना भी उल्लेख नही किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि भूमि ख०न० 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 तन ग्राम पांचू खरकड़ा पटवारी हल्का डूगा की बागोळ तहसील नीमकाथाना की अभिशंषा तरमीम संलग्न नक्शा के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20-7-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

[signature] 20-7-18

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना